भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3885
दिनांक 11 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

चारे की कमी का प्रभाव

3885. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डेयरी किसानों की आय पर चारे की कमी के प्रतिकूल प्रभाव का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से सूखे चारे, हरे चारे और पौष्टिक चारे की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसका उत्पादन एवं आपूर्ति बढ़ाने हेतु क्या योजनाएं हैं;

(ग) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत पशु चारा संयंत्र स्थापित करने के लिए समर्थित परियोजनाओं का केरल के वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वैकल्पिक हरे चारे को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ)ICAR-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI), झांसी द्वारा वर्ष 2019 में किए गए आकलन के अनुसार, देश में हरे चारे में 11.24%, सूखे चारे में 23.4% और कंसंट्रेट पशु आहार सामग्री में 28.9% की कमी का अनुमान है।

चारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित पहलों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है:

i. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीजों सहित गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, 1,152.40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 1.6 लाख टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों का उत्पादन किया गया है। गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों के उत्पादन के लिए NLM के अंतर्गत पैनलबद्ध राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (NSCL), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड (KVSSL), सद्भाव कंज्यूमर्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SADBHAV), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड (NCCF), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (NAFED) और हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (HIL) जैसी केंद्रीय एजेंसियां देशभर के अलग-अलग

राज्यों में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, NLM-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के अंतर्गत, हे/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (TMR) ब्लॉक जैसी अवसंरचना के निर्माण और बीज प्रसंस्करण/ग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 50% सब्सिडी (50 लाख रुपए तक) दी जाती है। इसके अंतर्गत, 201.02 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 86.65 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ 204 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। NLM-EDP के अंतर्गत हे/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (TMR) ब्लॉक के लिए सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

ii. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत, व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), किसान उत्पादक संगठनों (FPO), धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों को पशु आहार संयंत्रों सहित विभिन्न अवसंरचनागत क्रियाकलाप स्थापित करने के लिए 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है।

iii. स्थानीय स्तर पर चारे के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा देशभर में 100 समर्पित फॉडर-प्लस किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए गए हैं।

iv. पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य चारा कार्य बल गठित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य चारे की उपलब्धता की निगरानी करना, चारे की खेती के क्षेत्र को बढ़ाना और विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) जैसी अन्य योजनाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना है।

v. ICAR-IGFRI, चारा फसलों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) के साथ मिलकर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAUs), कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) और गैरसरकारी संस्थाएँ- (NGOs) में वर्षभर चारा उगाने वाले 70 से ज़्यादा बगीचे लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर चारे के उत्पादन को सुदृढ़ कर रहा है। इनसे 10 लाख से अधिक किसान और हितधारक प्रशिक्षित हुए हैं, पिछले दशक के दौरान 19 फसलों की अधिक पैदावार देने वाली 112 किस्में विकसित हुई हैं और 29 राज्यों के लिए क्षेत्र विशिष्ट चारा रणनीतियां बनाई गई हैं। ICAR-IGFRI ने 28 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य-विशिष्ट चारा विकास योजनाएं तैयार की हैं।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत, पशु आहार संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पशु आहार संयंत्र के लिए कोई भी परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं, जैसे वॉटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0), प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और विभिन्न सिल्वी-पाश्चर तथा हॉर्टी-पाश्चर एकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत वैकल्पिक हरे चारे जैसे बिना कांटों वाला कैक्टस, हाइड्रोपोनिक चारा, चारे वाला गन्ना, अज़ोला, मोरिंगा की खेती, को बढ़ावा देने के लिए अनेक परिणाम-उन्मुख उपाय किए हैं।

अनुबंध-I

चारे की कमी के प्रभाव के संबंध में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3885 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

NLM-EDP के अंतर्गत अनुमोदित चारा इकाइयों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	चारा ब्लॉक	साइलेज	TMR	हे	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2	2	1	0	5
2	छत्तीसगढ़	0	1	0	0	1
3	गुजरात	6	1	0	0	7
4	हरियाणा	1	1	0	0	2
5	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	1
6	झारखंड	1	0	0	0	1
7	कर्नाटक	5	3	1	0	9
8	मध्य प्रदेश	19	50	1	0	70
9	महाराष्ट्र	27	39	0	1	67
10	मिजोरम	1	0	0	0	1
11	पंजाब	1	4	2	0	7
12	राजस्थान	2	1	0	0	3
13	तमिलनाडु	7	1	0	0	8
14	तेलंगाना	0	4	1	0	5
15	उत्तर प्रदेश	8	6	1	0	15
16	उत्तराखंड	1	0	0	0	1
17	पश्चिम बंगाल	0	1	0	0	1
	कुल	**81**	**115**	**7**	**1**	**204**

अनुबंध-II

चारे की कमी के प्रभाव के संबंध में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3885 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) **के अंतर्गत सहायता प्राप्त पशु आहार संयंत्रों की राज्य-वार सूची**

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	जारी किया गया ब्याज सबवेंशन (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	4	137.96	4.51
2	असम	3	39.78	1.50
3	बिहार	4	223.64	10.52
4	छत्तीसगढ़	4	168.90	6.58
5	गुजरात	3	58.60	2.58
6	हरियाणा	10	115.71	2.30
7	हिमाचल प्रदेश	1	1.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	1	2.94	0.15
9	झारखंड	2	17.75	0.76
10	कर्नाटक	15	510.47	20.36
11	केरल	1	8.62	0.31
12	मध्य प्रदेश	6	187.59	10.51
13	महाराष्ट्र	28	433.81	12.57
14	ओडिशा	9	185.46	8.18
15	पुडुचेरी	1	4.55	0.17
16	पंजाब	19	271.42	5.72
17	राजस्थान	5	122.55	7.93
18	तमिलनाडु	15	238.73	13.01
19	तेलंगाना	9	285.00	12.52
20	उत्तर प्रदेश	13	382.20	16.49
21	उत्तराखंड	4	60.83	1.80
22	पश्चिम बंगाल	17	144.95	5.89
कुल		**174**	**3602.46**	**144.36**
